भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 433

सोमवार, 05 फरवरी, 2024 / 16 माघ, 1945 (शक)

ओडिशा राज्य को वित्तीय सहायता

433. श्री बसंत कुमार पंडा

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत नौ वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कालाहांडी और नुआपाड़ा जिलों सहित ओडिशा राज्य सरकार को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का योजना-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और यदि राज्य तथा जिला वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है, तो सम्पूर्ण भारत को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत नौ वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ओडिशा और उक्त जिलों में कितने लोग लाभान्वित हुए;

(ग) विगत नौ वर्षों के दौरान ओडिशा और उक्त जिलों में डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों का योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) कोरोना महामारी के दौरान ओडिशा को दिहाड़ी मजदूरों हेतु कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता और अन्य सहायता प्रदान की गई?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): श्रम और रोजगार मंत्रालय की सभी योजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं हैं। हालांकि**,** ओडिशा राज्य सरकार को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा तथा पिछले नौ वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान ओडिशा में लाभार्थियों की संख्या का योजना-वार ब्यौरा अनुबंध-**I** में दिया गया है।

(ग): ओडिशा में पिछले नौ वर्षों के दौरान डीबीटी से लाभान्वित लाभार्थियों का ब्यौरा अनुबंध-**II** में दिया गया है।

(घ): भारत सरकार ने व्यापार को प्रोत्साहन प्रदान करने तथा कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज के अंतर्गत सरकार ने सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

**

*****

अनुबंध-I

"ओडिशा राज्य को वित्तीय सहायता" के संबंध में श्री बसंत कुमार पंडा द्वारा दिनांक 05.02.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 433 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस): कालाहांडी और नुआपाड़ा जिलों सहित पिछले नौ वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ओडिशा राज्य को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
28.54	**36.82**	**280.67**	**50.00**	**11.92**	**84.61**	**0.00**	**9.51**	**174.50**	**3.32***

*दिनांक 30.01.2024 की स्थिति के अनुसार

पिछले नौ वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कालाहांडी और नुआपाड़ा जिलों सहित ओडिशा में लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

नौकरी खोजने वाले

वर्ष	**ओडिशा**	**कालाहांडी**	**नुआपाड़ा**
2014-2015	-	-	-
2015-2016	16,149	104	23
2016-2017	13,538	161	56
2017-2018	41,742	241	140
2018-2019	22,198	425	112
2019-2020	59,647	424	313
2020-2021	70,035	1,046	511
2021-2022	1,49,066	6,542	1,554
2022-2023	1,02,992	4,046	1,025
2023-2024 (दिनांक 28.01.2024 तक)	1,37,731	5,072	2,301
कुल	**6,13,098**	**18,061**	**6,035**

नियोक्ता

वर्ष	ओडिशा	कालाहांडी	नुआपाड़ा
2014-2015	-	-	-
2015-2016	8	-	-
2016-2017	6	-	-
2017-2018	20	-	-
2018-2019	29	-	-
2019-2020	1,193	15	2
2020-2021	1,324	1	2
2021-2022	827	1	1
2022-2023	20,928	553	176
2023-2024 (दिनांक 28.01.2024 तक)	29,563	854	213
कुल	**53,898**	**1,424**	**394**

स्वतंत्र परामर्शदाता

वर्ष	ओडिशा	कालाहांडी	नुआपाड़ा
2014-2015	-	-	-
2015-2016	16	-	-
2016-2017	14	-	-
2017-2018	16	1	-
2018-2019	42	2	-
2019-2020	34	-	-
2020-2021	64	3	2
2021-2022	693	20	9
2022-2023	94	2	2
2023-2024 (दिनांक 28.01.2024 तक)	60	3	1
कुल	**1,033**	**31**	**14**

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई): चूंकि एबीआरआई एक अखिल भारतीय योजना है, इसलिए, किसी भी राज्य सरकार को सीधे कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। दिनांक **19.01.2024** तक ओडिशा में लाभ की राशि और लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

लाभ की राशि (रु.)	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या
201,55,76,407/-	**4,195**	**89,357**

स्रोत: ईपीएफओ

प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई): दिनांक 31.03.2022 तक ओडिशा में वितरित सब्सिडी की राशि और लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है:

पीएमआरपीवाई के अधीन वितरित सब्सिडी	लाभान्वित प्रतिष्ठान	लाभान्वित लाभार्थी
124,54,96,959/-	**3,003**	**1,42,341**

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना: यह एक मांग आधारित योजना है जिसमें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें निधियां प्रदान की जाती हैं। पिछले नौ वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ओडिशा राज्य सरकार को उनसे प्राप्त मांग के अनुसार प्रदान की गई निधियों और लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रदान की गई धनराशि (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या (मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों की संख्या)
2014-15	0	0
2015-16	0	0
2016-17	25.80	258
2017-18	74.20	742
2018-19	0	0
2019-20	0	0
2020-21	0	0
2021-22	0	0
2022-23	0	0
2023-24 (दिनांक 30.01.2024 तक)	0	0
कुल	**100.00**	**1,000**

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी): ओडिशा राज्य में पिछले **10** वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत बचाए गए/कार्य से हटाए गए, पुनर्वासित किए गए और मुख्य धारा में लाए गए बच्चों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	**लाभार्थियों की संख्या**
2013-14	6,114
2014-15	21,315
2015-16	1,900
2016-17	0
2017-18	0
2018-19	0
2019-20	6
2020-21	495
2021-22	76
2022-23	1,415
कुल	**31,321**

अनुबंध-II

"ओडिशा राज्य को वित्तीय सहायता" के संबंध में श्री बसंत कुमार पंडा द्वारा दिनांक 05.02.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 433 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र (एनसीएससी) : यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके तहत राज्य वित्त पोषण उपलब्ध नहीं है। कालाहांडी और नुआपाड़ा जिलों सहित ओडिशा में पिछले नौ वर्षों के दौरान डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय-वर्ष	**कुल**
2015-16	210
2016-17	210
2017-18	210
2018-19	210
2019-20	110
2020-21	185
2021-22	0
2022-23	475
2023-24 (28.01.2024 तक)	245
कुल	**1,855**

कालाहांडी और नुआपाड़ा में डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित:

जिले का नाम	**प्रशिक्षुओं की संख्या**	**वित्तीय-वर्ष**	**योजना**
कालाहांडी	40	2018-19	"ओ" लेवल सॉफ्टवेयर
नुआपाड़ा	शून्य	शून्य	शून्य

*****